

कार्यालय संयुक्त निदेशक ,स्कूल शिक्षा ,भरतपुर संभाग भरतपुर


कार्यालय-आदेश

निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्थानान्तरण निदेशक ,माध्यमिक शिक्षा , राजस्थान-बीकानेर के पत्रांक शिविरा-माध्य/साप्र/ए-2-3/स्थानान्तरण/2019/स्पे दिनांक 29-09-2019 की पालना में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं । संबधित कार्यालयाध्यक्ष / संस्था प्रधान इन्हे तत्काल कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें ।

स्थानान्तरित कार्मिकों में, माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त , लम्बे समय से अनुपस्थित एवं परिवीक्षाधीन कार्यरत कार्मिकों को कार्यमुक्त /कार्यग्रहण नहीं कराया जावे । राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत गैर सरकारी अनुदान प्राप्त पद से राज्य सेवा में समायोजित कार्मिकों को शहरी क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को तत्काल प्रेषित की जावे । स्थानान्तरित कार्मिक कार्यमुक्ति पश्चात् अविलम्ब कार्यग्रहण करें । यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत विधवा /परित्यक्ता /दृष्टिहीन/ दोनो पैरो से दिव्यांग /गम्भीर बीमारी (कैंसर ,ब्रेन ट्यूमर ,गुर्दा प्रत्यारोपण) एवं सेवा निवृत्ति में एक वर्ष शेष रहने वाले कार्मिक हो तो ऐसे कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावे । तथा इसकी सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को भिजवाई जावे ।

कार्यालय/विद्यालय में कार्यग्रहण /कार्यमुक्ति अनिवार्यतः शाला दर्पण के माध्यम से करावे । संबधित कार्यालयाध्यक्ष /संस्थाप्रधान कार्यमुक्ति /कार्यग्रहण की सूचना संबधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय एवं इस कार्यालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें ।


क्र०स०	नाम	पद	कहाँ से	कहाँ को
01	श्रीमती अकलेशी मीणा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	राउमावि चैटोली ,वैर (भरतपुर)	राउमावि नॉगल पहाडी ,टोडाभीम (करौली)


(रिपुसूदन) 29-9-19

संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा
भरतपुर संभाग ,भरतपुर

क्रमांक :-सं०नि०/स्कूल शिक्षा/भरत/संस्था-2/फा-स्था०मंत्रा/2019-20/227 दिनांक 29-09-2019
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

- 01-विशिष्ट सहायक , माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार जयपुर
- 02-निदेशक,माध्यमिक शिक्षा , राजस्थान-बीकानेर
- 03-निदेशक,प्रारम्भिक शिक्षा , राजस्थान-बीकानेर
- 04-सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
- 05-सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक /प्रारम्भिक
- 06-सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी /संस्था पीईईओ/संस्थाप्रधान
- 07-सम्बन्धित कार्मिक
- 08-रक्षित पत्रावली


29-9-19
संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा
भरतपुर संभाग ,भरतपुर